संख्या-   /2024/306/004-87-01002-002-3-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग   लखनऊ : दिनांक   मार्च, 2024

विषय-:उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्या े के संचालन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या-31(वेतन) मद में वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6236/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2023-24, दिनांक 01 मार्च, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु मद संख्या-31 में प्राविधानित धनराशि रू0 58.05/- (रूपये अट्ठावन लाख पांच हजार मात्र) में से शासनादेश दिनांक 19-04-2023 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 14.50 लाख एवं शासनादेश दिनांक 25-09-2023 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 14.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। सम्प्राति धनराशि रू0 29.05 लाख अवशेष है। उक्त अवशेष बची धनराशि रू0 29.05 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 06.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810018000300 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /2024/306 /004-87-01002-002-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in